SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL **PROCEDUR** CODE, 1898 शिवानी शर्मा In the court of . न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीएमएफसी गोहद गोहद, जिला-विष्ड प्रकरण क्रमांक 108/2018 Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना भिण्ड म०प्र० name, parentage, caste and address of accused-1. राम (भर्माण (१) कुपाल जार्ष The offence complained of, and date of its alleged commission on the state of its alleged 415 55 61910 YT 25.

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of theproperty in respect of whitch the offence has been committed.

> (शिवानी शर्मा) जेएमएफसी गोहद

//निर्णय//

(आज दिनांक 4-8-10) को पारित किया गया)

- 1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा / 3 कि अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा । 3 51 कि) के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
- 2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एंव प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
- 3. फलस्वरूप आरोपी को धारा \$\frac{1}{3} \frac{20}{100} \rightarrow के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं \$\frac{100}{-100} \rightarrow रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर \$\frac{1}{0}\$ दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।

4. प्रकरण में मुददे माल जास यादि जांग की जोंग भेजी जांवे

5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान-गोहद

दिनांक- ५- 6-19

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित क्र घोषित क्रिया गया

> (शिवानी शर्मा) जेएमएफसी गोहद

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(शिवानी शर्मा) जेएमएफसी गोहद